कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-27.10.2024

विषयः- 01 अदद टाटा मैजिक में लदी कुल 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत करीब 2.50 लाख रुपये) के साथ अभियुक्त अंकित सेठ थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अवैध शराब की बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन व वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व मे थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ककरमत्ता ओवरब्रिज के नीचे से अभियुक्त अंकित सेठ पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी काशी राम कालोनी कछवा बाजार थाना कछवा बाजार जनपद मिरजापुर को आज दिनांक-27.10.24 को समय करीब 05.00 बजे 01 अदद टाटा मैजिक (छोटा हाथी) में लदी कुल 40 पेटी अवैध 8-PM अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-241/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त अंकित सेठ ने पूछताछ करने पर बताया कि इस टाटा मैजिक मे 40 पेटी अंग्रेजी शराब लदी है और ऊपर से सब्जी लौकी रखा है ताकि कोई पहचान न सके कि इस गाड़ी में शराब है। इस शराब को मैं और मेरे साथी आशीष सरोज उर्फ आशीष पारस उर्फ गोलू प्रधान और छोटू मिलकर बिहार राज्य में ले जा रहे थे क्योंकि वहाँ शराब बन्दी है, इस शराब को ले जाकर वहाँ दुगने-तिगुने दाम पर बेचकर मुनाफा कमाते और उस पैसे को हम आपस में बांट लेते। आज भी इस गाड़ी में शराब लेकर मैं और मेरे अन्य साथी आशीष सरोज उर्फ आशीष पारस उर्फ गोलू व छोटू लेकर बिहार के लिए चले थे कि आप लोगों ने मुझे ककरमत्ता पुल के पास पकड़ लिया और मेरे दोनों साथी पुलिस को देखकर भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अंकित सेठ पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी काशी राम कालोनी कछवा बाजार थाना कछवा बाजार जनपद मिरजापुर, उम्र 23 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- ककरमत्ता ओवरब्रिज के नीचे से, दिनांक-27.10.24 को समय करीब 05.00 बजे।

<u>बरामदगी का विवरण-</u> 01 अदद टाटा मैजिक (छोटा हाथी) में लदी कुल 40 पेटी अवैध 8-PM अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत करीब 2.50 लाख रुपये)।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1-मु0अ0सं0-241/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1.प्र0नि0 भरत उपाध्याय थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
2.उ0नि0 पवन कुमार थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
3.उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
4.का0 आलोक सरोज थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
5.का0 संदीप शाह थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
6.का० अविनाश यादव थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।